	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	**RAJASTHAN GAZETTE** **Extraordinary**
सत्यमेव जयते	**साधिकार प्रकाशित**	***Published by Authority***
	भाद्र 23, सोमवार, शाके 1942–सितम्बर 14, 2020 *Bhadra 23, Monday, Saka 1942–September 14, 2020*	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

खान (ग्रुप-2) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, दिसम्बर 24, 2019

संख्या प.14(9)खान/ग्रुप-2/2015 पार्ट ।। :- राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या 47) की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना संख्या प.14(9)खान/ग्रुप-2/2015 पार्ट ।। दिनांक 28.02.2018 का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता हैः-

राज्यपाल के आदेश से,
शुभम चौधरी ,
संयुक्त शासन सचिव

(प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद)

अधिसूचना

जयपुर, 14 मार्च, 2018

खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 67) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थातः-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत (दूसरा संशोधन) नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 7 का संशोधन.- राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017, जिन्हें इसमें इसके पश्चात उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के नियम 7 के उप-नियम (3) के विद्यमान द्वितीय परन्तुक के स्थान निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थातः- "परन्तु यह और कि ऐसे क्षेत्र के लिए आरक्षित कीमत वार्षिक स्थिर भाटक की दस गुना होगी। ई-नीलामी में प्रस्थापित प्रीमियम राशि अग्रिम रूप से संदत्त की जायेगी और स्थिर भाटक या अधिशुल्क के विरूद्ध समायोजित नहीं की जायेगी।"

3. नियम 8 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 8 के उप-नियम (3) के विद्यमान द्वितीय परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्.-

"परन्तु यह और कि ऐसे क्षेत्र के लिए आरक्षित कीमत वार्षिक अनुज्ञप्ति शुल्क का दस गुना होगी। ई-नीलामी में प्रस्थापित प्रीमियम राशि अग्रिम रूप से संदत्त की जायेगी और वार्षिक अनुज्ञप्ति शुल्क के विरूद्ध समायोजित नहीं की जायेगी।"

4. नियम 9 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 9 में,-

(i) उप-नियम (1) के परन्तुक में विद्यमान अभिव्यक्ति "खनिज बजरी (नदी बालू)" के स्थान पर अभिव्यक्ति "बीकानेर जिले के पलाऊ-नहर बालू जमा को छोड़कर, खनिज बजरी" प्रतिस्थापित की जायेगी।;

(ii) उप-नियम (5) के परन्तुक में,-

(क) विद्यमान खण्ड (ii) हटाया जायेगा।;

(ख) खण्ड (iii) में, विद्यमान अभिव्यक्ति " और उसमें और खण्ड (ii) के अनुसरण में विनिर्दिष्ट उसकी इच्छा या अनिच्छा, यदि कोई हो, भी विनिर्दिष्ट की जायेगी" हटायी जायेगी।;

(ग) खण्ड (iv) में विद्यमान अभिव्यक्ति "के दूसरे चक्र" जहां कहीं आयी हो, हटायी जायेगी।; और

(घ) खण्ड (vi) में विद्यमान अभिव्यक्ति "के दूसरे चक्र" हटायी जायेगी।

5. नियम 10 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 10 के उप-नियम (5) के परन्तुक में,-

(i) विद्यमान खण्ड (ii) हटाया जायेगा।;

(ii) खण्ड (iii) में, विद्यमान अभिव्यक्ति " और उसमें और खण्ड (।।) के अनुसरण में विनिर्दिष्ट उसकी इच्छा या अनिच्छा, यदि कोई हो, भी विनिर्दिष्ट की जायेगी" हटायी जायेगी।;

(iii) खण्ड (iv) में विद्यमान अभिव्यक्ति "के दूसरे चक्र" जहां कहीं आयी हो, हटायी जायेगी।; और

(iv) खण्ड (vi) में विद्यमान अभिव्यक्ति "के दूसरे चक्र" हटायी जायेगी।

6. नियम 12 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 12 में,-

(i) परन्तुक में विद्यमान अभिव्यक्ति "खसरा-वार किया जायेगा" के स्थान पर अभिव्यक्ति " ग्लोबल पोजिशनिंग प्रणाली (जी.पी.एस.) या डिफरेंशियल ग्लोबल पोजिशनिंग प्रणाली (डी.जी.पी.एस.) या खसरा-वार का उपयोग करते हुए किया जा सकेगा" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(ii) इस प्रकार संशोधित परन्तुक के पश्चात निम्नलिखित नया परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थातः-

"परन्तु यह और कि निजी भूमि के मामले में, खनिज रियायत चाहने वाला भूस्वामी आवेदित क्षेत्र के समस्त किनारे के खंभों के डब्ल्यूजीएस 84 डेटम में अक्षांश और देशांतर, जमाबंदी अध्यारोपित खसरा नक्शा के साथ विभागीय वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकेगा। ऑनलाइन आवेदन की प्राप्ति पर संबंधित खनि अभियंता या सहायक खनि

अभियंता निदेशालय पर केन्द्रीकृत नीलामी अनुभाग को क्षेत्र के ई-नीलामी के लिए तीस दिवस के भीतर-भीतर ऑनलाइन प्रस्ताव भेजेगा।''

7. नियम 13 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 13 में,-

(i) विद्यमान उप-नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थातः-

''(2) प्रीमियम राशि के अवधारण के लिए, खनन पटटे या खदान अनुज्ञप्ति के लिए आरक्षित राशि क्रमशः नीलामीधीन क्षेत्र के वार्षिक स्थिर भाटक या अनुज्ञप्ति शुल्क के पांच गुना के बराबर राशि होगी या ऐसी होगी जो सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाये। '';

(ii) विद्यमान उप-नियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थातः-

''(3) बोलीदाता, राज्य सरकार को संदाय के प्रयोजन के लिए नियम 14 में यथावर्णित आरक्षित राशि के बराबर या उससे अधिक कोई राशि बोली मापदण्डों के अनुसार उदधृत करेगा और इस प्रकार उदधृत प्रीमियम राशि वार्षिक स्थिर भाटक या, यथास्थिति, अनुज्ञप्ति शुल्क के विरूद्ध समायोजित नहीं की जायेगी। सफल बोलीदाता निम्नलिखित रीति से प्रीमियम राशि का चार किस्तों में संदाय करेगा:-

(i) प्रथम किस्त, ई-नीलामी के पूर्ण होने के पन्द्रह दिन के भीतर, प्रीमियम राशि का चालीस प्रतिशत;

(ii) द्वितीय किस्त, खनन पटटा विलेख के निष्पादन या, यथास्थिति, खदान अनुज्ञप्ति जारी किये जाने के पूर्व, प्रीमियम राशि का बीस प्रतिशत;

(iii) तृतीय किस्त, पटटा/अनुज्ञप्ति कालावधि के द्वितीय वर्ष के प्रारंभ पर, प्रीमियम राशि का बीस प्रतिशत; और

(iv) प्रीमियम राशि का शेष बीस प्रतिशत, पटटा/ अनुज्ञप्ति कालावधि के तृतीय वर्ष के प्रारंभ पर।'';

(iii) विद्यमान उप-नियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थातः-

''(4) इन नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, या राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत (द्वितीय संशोधन) नियम, 2018 के प्रारंभ से पूर्व प्रकाशित बोली आमंत्रित करने के नोटिस के अनुसरण में की गयी या की जाने वाली नीलामी या स्वीकृत किये गये किसी भी खनन पटटे या खदान अनुज्ञप्ति के मामले में सफल बोलीदाता द्वारा उदधृत प्रीमियम राशि स्थिर भाटक, अधिशुल्क या, यथास्थिति, वार्षिक अनुज्ञप्ति शुल्क में अभिवृद्धि के समय अनुपातिक रूप से पुनरीक्षित हो जायेगी और सफल बोलीदाता या पटटाधारी या, यथास्थिति, अनुज्ञप्तिधारी इस प्रकार वर्धित प्रीमियम संदाय करने का दायी होगा।'';

(iv) विद्यमान उप-नियम (5) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थातः-

"(5) इन नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, या राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत (द्वितीय संशोधन) नियम, 2018 के प्रारंभ से पूर्व प्रकाशित बोली आमंत्रित करने के नोटिस के अनुसरण में स्वीकृत किये गये किसी खनन पटटे या खदान अनुज्ञप्ति, संचालित किये गये या किये जाने वाले किसी नीलामी के मामले में जहां खनन पटटे की स्वीकृति के पश्चात एक या अधिक नये खनिजों का पता लग जाता है वहां सफल बोलीदाता प्रत्येक ऐसे खनिज के बारे में इस प्रकार उदधृत प्रतिशत का भी संदाय करेगा।"; और

(v)इस प्रकार प्रतिस्थापित उप-नियम (5) के पश्चात निम्नलिखित नया उप-नियम (6) जोड़ा जायेगा, अर्थात:-

"(6) खनिज बजरी के मामले, में राज्य सरकार पटटे के पिट माउथ पर अधिकतम विक्रय कीमत विनिर्दिष्ट कर सकेगी और सफल बोलीदाता ऐसी विनिर्दिष्ट कीमत पर बजरी का परिदान या विक्रय करेगा।"

8. नियम 14 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 14 में,-

(i) उप-नियम (3) में विद्यमान अभिव्यक्ति "तीस दिवस" जहां कहीं भी आयी हो, के स्थान पर अभिव्यक्ति "पन्द्रह दिवस" प्रतिस्थापित की जायेगी।

(ii) विद्यमान उप-नियम (8) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम (8) प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थातः-

"(8) उपरली अग्रिम ऑनलाइन इलेक्ट्रोनिक नीलामी निम्नलिखित रीति से किया जायेगा, अर्थातः-

(i) भावी बोलीदाता आर.टी.जी.एस./निफ्ट/नेट बैंकिंग के माध्यम से ई-नीलामी संचालित करने के लिए प्राधिकृत एजेंसी को बोली आमंत्रित करने के नोटिस में वर्णित समय और तारीख पर नियम 18 के अनुसार बोली प्रतिभूति और सात हजार पांच सौ रुपये की अप्रतिदेय आवेदन शुल्क निक्षिप्त करेगाः

परन्तु भावी बोलीदाता अग्रिम में एकमुश्त राशि निक्षिप्त कर सकेगा और ऐसी राशि से, उस भूखण्ड, जिसके लिए वह बोली लगाने का आशय रखता है, की आवेदन शुल्क और बोली प्रतिभूति की कटौती की जायेगी। बोलीदाता निक्षिप्त राशि के अनुसार कई नीलामियों में भाग ले सकेगा।

(ii) भावी बोलीदाता सभी करों और शुल्कों को मिलाकर इलेक्ट्रोनिक प्लेट फार्म पर उनका राशि प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा, जो आरक्षित राशि से कम नहीं होगा। बोलीदाता का प्रत्यक्ष रूप से संबंधित प्राधिकारियों को समस्त लागू करों और शुल्कों का संदाय करने और विभाग को उनके सबूत प्रस्तुत करने का एकमात्र दायित्व होगाः

परन्तु राशि प्रस्ताव, बोली आमंत्रित करने के नोटिस के अनुसार ई-नीलामी पूर्ण होने तक पुनरीक्षित की जा सकेगी।;

(iii) ई-नीलामी की तारीख, समय और कालावधि बोली आमंत्रित करने की सूचना में वर्णित अनुसूची के अनुसार होगा। तथापि, ई-नीलामी के अंतिम समय का विस्तार उस दषा में स्वतः हो जायेगा जब कोई बोली इलेक्ट्रोनिक नीलामी के अनुसूचित अंतिम समय के पूर्व अंतिम आठ मिनट के दौरान प्राप्त होती है। इलेक्ट्रोनिक नीलामी के अंतिम समय का विस्तार, सभी अन्य अर्हित बोलीदाताओं को समान अवसर देने के लिए, प्राप्त अंतिम बोली समय से आठ मिनट तक स्वतः विस्तारित हो जायेगा। स्वतः विस्तार की यह प्रक्रिया तब तक चालू रहेगी जब तक अंतिम उच्चतम बोली में आठ मिनट की कालावधि तक सुधार नहीं होता है;

(iv) सफल बोलीदाता का एकमात्र विनिष्चय अर्हित बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत उच्चतम वित्तीय बोली के आधार पर किया जायेगा। किसी भी बोलीदाता के साथ कोई भी बातचीत नहीं की जायेगी;

(v) ई-नीलामी की समाप्ति पर, उच्चतम बोलीदाता को सफल बोलीदाता के रूप में घोषित किया जायेगा और उसके पश्चात सफल बोलीदाता के नाम और बोली कीमत इत्यादि उपदर्षित करते हुए बोली पत्र एजेंसी द्वारा ई-मेल के माध्यम से चौबीस घण्टे के भीतर-भीतर उपलब्ध कराया जायेगा। बोली पत्र को प्रबंध सूचना प्रणाली (प्र.सू.प्र.) रिपोर्ट के माध्यम से डाउनलोड किया जायेगा,

(vi) यदि नीलाम किये गये क्षेत्र में निजी भूमि अन्तर्विष्ट है तो ई-नीलामी की समाप्ति पर संबंधित खनि अभियंता या सहायक खनि अभियंता भूस्वामी को प्रथम इंकार के अधिकार का प्रयोग सात दिवस के भीतर-भीतर उनकी इच्छा की लिखित अभिपुष्टि चाहते हुए नोटिस जारी करेगा;

(vii) खण्ड (vi) के अधीन दिये गये नोटिस की अभिस्वीकृति भूस्वामी द्वारा दी जायेगी और जो नोटिस की प्राप्ति के तीस दिवस के भीतर-भीतर लिखित में प्रथम इंकार के अधिकार का प्रयोग
करने की सूचना संबंधित खनि अभियंता या सहायक खनि अभियंता को देगा उसके विफल रहने पर यह अर्थान्वयन किया जायेगा कि भूस्वामी प्रथम इंकार के अधिकार का प्रयोग करने का इच्छुक नहीं है;

(viii) यदि भूस्वामी प्रथम इंकार के अधिकार का प्रयोग करता है, उच्चतम अंतिम कीमत प्रस्ताव से मेल खाता है और अन्य सभी लागू संदाय जमा कर देता है तो भूस्वामी को सफल बोलीदाता के रूप में घोषित किया जायेगा और इन नियमों में उपबंधित रीति से खनन पटटे का हकदार होगा। ऐसे मामले में उच्चतम बोलीदाता द्वारा संदत्त बोली प्रतिभूति प्रतिदत्त की जायेगीः

परन्तु जहां भूस्वामी प्रथम इंकार के अधिकार का प्रयोग नहीं करते हैं तो उच्चतम बोलीदाता को सफल बोलीदाता के रूप में घोषित किया जायेगा; और

(ix) सफल बोलीदाता द्वारा संपादन प्रतिभूति जमा करा दिये जाने पर सफल बोलीदाता की बोली प्रतिभूति नीलामी के लिए नियुक्त एजेंसी द्वारा बहत्तर घण्टे के भीतर-भीतर प्रतिदत्त की जायेगी।";

(iii) विद्यमान उप-नियम (10) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थातः-

"(10) सफल बोलीदाता की घोषणा के पश्चात, सफल बोलीदाता ई-नीलामी के पूर्ण होने के पन्द्रह दिन के भीतर-भीतर संबंधित खनि अभियंता या सहायक खनि अभियंता को प्रस्थापित प्रीमियम राशि के चालीस प्रतिशत की प्रथम किस्त के साथ निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगाः-

(i) विभाग के अदेयता संबंधित शपथपत्रः

(ii) संबंधित खनि अभियंता सहायक खनि अभियंता से प्राप्त अदेयता प्रमाणपत्र जहां बोलीदाता खनिज रियायत या अधिशुल्क संग्रहण ठेका या अधिक अधिशुल्क संग्रहण ठेका धारण करता है या उसके द्वारा धारण की गयी थी:

परंतु फर्म, कंपनी या व्यक्तियों के संगम की दशा में, शपथपत्र और अदेय ता प्रमाणपत्र, समस्त भागीदारों, निदेशकों या, यथास्थिति, व्यष्टियों द्वारा प्रस्तुत किये जायेंगे।

(iii) यदि बोलीदाता कंपनी है तो संगम ज्ञापन और संगम अनुच्छेद, निगमन प्रमाणपत्र या, यथास्थिति, यदि बोलीदाता फर्म है तो भागीदारी विलेख और फर्म पंजीयन प्रमाणपत्र;

(iv) फर्म या, यथास्थिति, कंपनी के मामले में प्रारूप 4 में यथाविनिर्दिष्ट रूपविधान में मुख्तारनामा या बोली प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति के पक्ष में निदेशक बोर्ड का संकल्प ;

(v) पैन कार्ड या टिन की प्रति;

(vi) पते के सबूत की प्रति; और

(vii) ई-मेल पता और मोबाइल नम्बर।"

(iv) उप-नियम (11) में विद्यमान अभिव्यक्ति ''में वर्णित पहली किस्त जमा करने में'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''के उपबंधों का पालन करने में'' प्रतिस्थापित की जायेगी।'';

(v) विद्यमान उप-नियम (12) के पश्चात निम्नलिखित नये उप-नियम (13) और (14) जोड़े जायेंगे, अर्थातः-

''(13) निदेशक लिखित में कारण अभिलिखित करने के पश्चात निम्नलिखित कारणों में से किसी एक कारण ई-नीलामी में भाग लेने के लिए बोलीदाता को विवर्जित कर सकेगा, अर्थातः-

(i) जहां सफल बोलीदाता खनिज रियायत की प्रस्थापित प्रीमियम राशि की किस्त/किस्तें, संपादन प्रतिभूति, वार्षिक स्थिर भाटक या अनुज्ञप्ति शुल्क प्रतिभूति निक्षेप, निक्षिप्त नहीं करवाता है या खनन पटटे का निष्पादन करने में असफल रहता है;

(ii) जहां बोलीदाता को नीलामी प्रक्रिया के दौरान, या खनिज रियायत की स्वीकृति या निष्पादन या स्वीकृति के पश्चात प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः या किसी एजेन्ट के माध्यम से किसी भी भ्रष्ट आचरण, कपटपूर्ण आचरण, प्रपीड़क आचरण, अवांछनीय आचरण या निर्बंधनात्मक आचरण में लगा हुआ या लिप्त पाया जाता है और यह विश्वास करने के पर्याप्त कारण हैं कि बोलीदाता या उसका कर्मचारी रिश्वत, भ्रष्टाचार, कपट, ऋजु नीलामी प्रक्रिया के दूषण जैसे अनाचार का दोषी पाया जाता है;

(iii) जहां बोलीदाता या उसके भागीदार या उसके प्रतिनिधि को खनिज रियायत से प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षत जुडे हुए सरकार के किसी अधिकारी या पदधारी के साथ दुर्व्यवहार का दोषी पाया जाता है, और

(iv) जहां बोलीदाता या उसके भागीदार या उसके प्रतिनिधि को खनिज रियायत के नीलामी से उदभूत नैतिक अधमता से अंतर्वलित अपराध के लिए किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किया जाता है।; और

(14) निदेशक, बोलीदाता को विवर्जित करने के पश्चात उसे पन्द्रह दिवस का नोटिस देने के पश्चात, भावी नीलामी के लिए बोलीदाता को पांच वर्ष की कालावधि के लिए भाग लेने के लिए काली सूची में डाल सकेगा।''

9. नियम 15 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 15 में,-

(i) विद्यमान उप-नियम (5) हटाया जायेगा।;

(ii) विद्यमान उप-नियम (6) हटाया जायेगा।;

(iii) उप-नियम (7) में विद्यमान अभिव्यक्ति ''अंतिम बोली प्रस्ताव'' जहां कहीं आयी हो, के स्थान पर अभिव्यक्ति '' बोली प्रस्ताव'' प्रतिस्थापित की जायेगी।

(iv) उप-नियम (10) में विद्यमान अभिव्यक्ति ''निविदा'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''नीलामी'' प्रतिस्थापित की जायेगी।

(v) विद्यमान उप-नियम (12) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थातः- (12) सरकार, अपने एक मात्र विवेक से एक संशोधन जारी

कर, आवेदन शुल्क प्राप्त करने की तारीख और बोली प्रतिभूति या बोली बकाया तारीख को बढ़ा सकेगी और विभाग की और ई-नीलामी के लिए नियुक्त एजेन्सी की वेबसाइट पर प्रकाशित शुद्धि-पत्र के माध्यम से समस्त बोलीदाताओं को उपलब्ध करायेगी।

(vi) उप-नियम (13) में विद्यमान अभिव्यक्ति "निविदा" केस्थान पर अभिव्यक्ति "नीलामी" प्रतिस्थापित की जायेगी।

(vii) उप-नियम (15) में विद्यमान अभिव्यक्ति "निविदा" जहां कहीं भी आयी हो, के स्थान पर अभिव्यक्ति " नीलामी " प्रतिस्थापित की जायेगी।

(viii) उप-नियम (16) में विद्यमान अभिव्यक्ति "निविदा" के स्थान पर अभिव्यक्ति " नीलामी " प्रतिस्थापित की जायेगी।

(ix) उप-नियम (17) में विद्यमान अभिव्यक्ति "निविदा" जहां कहीं भी आयी हो, के स्थान पर अभिव्यक्ति " नीलामी " प्रतिस्थापित की जायेगी।

(x) उप-नियम (18) में विद्यमान अभिव्यक्ति "निविदा प्रक्रिया" जहां कहीं भी आयी हो, के स्थान पर अभिव्यक्ति " नीलामी प्रक्रिया" प्रतिस्थापित की जायेगी।

10. नियम 16 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 16 में,-

(i) उप-नियम (1) में विद्यमान अभिव्यक्ति "नियम 14 के उप-नियम (8) के खण्ड (ii) के उप-खण्ड (ज)" के स्थान पर अभिव्यक्ति "नियम 9 के उप-नियम (5) के खण्ड (vi) या नियम 14 के उप-नियम (8) के खण्ड (viii)" प्रतिस्थापित की जायेगी।

(ii) उप-नियम (2) में .-

(क) विद्यमान खण्ड (i) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थातः- "(i) निजी भूमि के मामले में मंषा-पत्र जारी किये जाने की तारीख से साठ दिवस के भीतर-भीतर भू-स्वामी की पंजीकृत सहमति प्रस्तुत करेगा;"; और

(ख) तृतीय परन्तुक में, विद्यमान अभिव्यक्ति "मंशा-पत्र के जारी किये जाने की तारीख से" के स्थान पर अभिव्यक्ति "मंशा-पत्र में विनिर्दिष्ट समय कालावधि के अवसान के पश्चात" प्रतिस्थापित की जायेगी।;

(iii) उप-नियम (5) में विद्यमान अभिव्यक्ति "तीसरी किस्त का संदाय करेगा जो न्यूनतम प्रत्याभूति प्रीमियम की पचास प्रतिशत होगी" के स्थान पर अभिव्यक्ति "दूसरी किस्त का संदाय करेगा जो प्रस्थापित प्रीमियम की बीस प्रतिशत होगी" प्रतिस्थापित की जायेगी।; और

(iv) उप-नियम (6) के परन्तुक में विद्यमान अभिव्यक्ति "नियम 13 के उप-नियम (5) में यथावर्णित प्रीमियम राशि के संदाय के अध्यधीन रहते हुए" के स्थान पर अभिव्यक्ति "नियम 28 के उप-नियम (1) के खण्ड (xv) के उपबन्धों के अनुसार" प्रतिस्थापित की जायेगी।

11. नियम 17 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 17 में.-

(i) उप-नियम (1) में, विद्यमान अभिव्यक्ति " नियम 14 के उप-नियम (8) के खण्ड (ii) के उप-खण्ड (ज)" के स्थान पर अभिव्यक्ति "नियम 10 के उप-नियम (5) के खण्ड (vi) या नियम 14 के उप-नियम (8) के खण्ड (viii)" प्रतिस्थापित की जायेगी।;

(ii) उप-नियम (2) में.-

(क) विद्यमान खण्ड (i) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थातः-

"(i) निजी भूमि के मामले में "मंशा-पत्र जारी किये जाने की तारीख से साठ दिवस के भीतर-भीतर भू-स्वामी की पंजीकृत सहमति प्रस्तुत करेगा;"; और

(ख) तृतीय परन्तुक में, विद्यमान अभिव्यक्ति "मंशा-पत्र के जारी होने की तारीख से" के स्थान पर अभिव्यक्ति " मंशा-पत्र में विनिर्दिष्ट समयावधि के अवसान के पश्चात" प्रतिस्थापित की जायेगी।; और

(iii) उप-नियम (3) में विद्यमान अभिव्यक्ति "तीसरी किस्त प्रारूप 7 में खदान अनुज्ञप्ति जारी करने के पूर्व संदत करेगा जो प्रस्तावित प्रीमियम की पचास प्रतिशत होगी" के स्थान पर अभिव्यक्ति "दूसरी किस्त प्रारूप 7 में खदान अनुज्ञप्ति जारी करने के पूर्व संदत करेगा जो प्रस्तावित प्रीमियम की बीस प्रतिशत होगी" प्रतिस्थापित की जायेगी।

12. नियम 18 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 18 के उप-नियम (2) के खण्ड (i) में विद्यमान अभिव्यक्ति "वार्षिक स्थिर भाटक" के स्थान पर अभिव्यक्ति "वार्षिक स्थिर भाटक का दो गुना या एक लाख रुपये, जो भी अधिक हो," प्रतिस्थापित की जायेगी।

13. नियम 21 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 21 में,-

(i) उप-नियम (1) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "अतिशेष न्यूनतम प्रत्याभूत विनियम" के स्थान पर अभिव्यक्ति "दूसरी किस्त जो प्रस्थापित प्रीमियम के बीस प्रतिशत होगी" प्रतिस्थापित की जायेगी।; और

(ii) उप-नियम (5) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "न्यूनतम प्रत्याभूत प्रीमियम" के स्थान पर अभिव्यक्ति "प्रस्थापित प्रीमियम" प्रतिस्थापित की जायेगी।

14. नियम 28 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 28 में,-

(i) उप-नियम (1) के खण्ड (xv) में,-

(क) प्रथम परन्तुक में, विद्यमान अभिव्यक्ति "नीलामी के माध्यम से" के स्थान पर अभिव्यक्ति "राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत (दूसरा संशोधन) नियम, 2018 के प्रारंभ के पश्चात प्रकाशित बोली आमंत्रित करने के नोटिस के अनुसरण में पटटे और नीलामी या स्वीकृत की गयी अनुज्ञप्ति के माध्यम से" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(ख) विद्यमान द्वितीय परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थातः-

"परन्तु यह और कि राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत (दूसरा संशोधन) नियम, 2018 के प्रारंभ के पूर्व प्रकाशित बोली आमंत्रित करने के नोटिस के अनुसरण में स्वीकृत किये गये खनन पटटे के मामले में, नये पता चले खनिज को नियम 13 के उप-नियम (5) में यथावर्णित प्रीमियम राशि के संदाय के अध्यधीन रहते हुए सम्मिलित किया जायेगा; " और

(ii) उप-नियम (2) के विद्यमान खण्ड (xi) के पश्चात और विद्यमान खण्ड (xii) से पूर्व निम्नलिखित नया खण्ड (xi-क) अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात:-

"(xi-क) वृहत लोकहित में, राज्य सरकार पटटे के पिट माउथ पर खनिज बजरी का अधिकतम विक्रय कीमत विनिर्दिष्ट कर सकेगी और पटटेदार ऐसी विनिर्दिष्ट कीमत पर खनिज का परिदान या विक्रय करेगा।"

15. नियम 37 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 37 में,-

(i) उप-नियम (4) में,-

(क) अन्त में आये विद्यमान विराम चिन्ह "।" के स्थान पर विराम चिन्ह् ":" प्रतिस्थापित किया जायेगा; और

(ख) निम्नलिखित नया परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात:-

"परन्तु यह कि आशय रखने वाला बोलीदाता जो इस विभाग में पंजीकृत नहीं है, इस शर्त के अध्यधीन ई-नीलामी में भाग ले सकेगा कि वह खनि अभियंता या सहायक खनि अभियंता को ई-नीलामी की तारीख से पन्द्रह दिवस के भीतर-भीतर विभागीय पंजीयन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा।";

(ii) विद्यमान उप-नियम (7) के स्थान पर निम्नलिखित उप- नियम (7) प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात:-

(7) उपरली अग्रिम आनलाइन इलेक्ट्रोनिक नीलामी निम्नलिखित रीति से किया जायेगा, अर्थात:-

(i) भावी बोलीदाता आर.टी.जी.एस/एन.ई.एफ.टी/नेट बैंकिंग के माध्यम से ई-नीलामी संचालित करने के लिए प्राधिकृत एजेंसी को बोली आमंत्रित करने के नोटिस में वर्णित समय और तारीख पर नियम 39 के अनुसार बोली प्रतिभूति निक्षिप्त करेंगे:

परन्तु भावी बोलीदाता अग्रिम में एकमुश्त राशि निक्षिप्त कर सकेगा और ऐसी राशि से, उस ठेके की बोली प्रतिभूति जिसके लिए उसका बोली लगाने का आशय है, की कटौती की जायेगी। बोलीदाता निक्षिप्त राशि के अनुसार कई नीलामियों में भाग ले सकेगा।

(ii) भावी बोलीदाता सभी करों और शुल्कों सहित इलेक्ट्रोनिक प्लेट फार्म पर अपनी-अपनी बोली प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे, जो आरक्षित राशि से कम नहीं होगी। बोलीदाता का प्रत्यक्ष रूप से संबंधित प्राधिकारियों को

समस्त लागू करों और शुल्कों का संदाय करने और उस विभाग को उनके सबूत प्रस्तुत करने का एकमात्र उत्तरदायित्व होगा:

परन्तु बोली प्रस्ताव बोली आमंत्रित करने के नोटिस के अनुसार ई-नीलामी पूर्ण होने तक पुनरीक्षित की जा सकेगी।

(iii) ई-नीलामी की तारीख, समय और कालावधि बोली आमंत्रित करने के नोटिस में वर्णित अनुसूची के अनुसार होगी। तथापि, ई-नीलामी के अंतिम समय का विस्तार उस दषा में स्वतः हो जायेगा जब कोई बोली इलेक्ट्रोनिक नीलामी के अनुसूचित अंतिम समय के पूर्व अंतिम आठ मिनट के दौरान प्राप्त होती है। इलेक्ट्रोनिक नीलामी का अंतिम समय सभी अन्य अर्हित बोलीदाताओं को समान अवसर देने के लिए, प्राप्त अंतिम बोली समय से आठ मिनट तक स्वतः विस्तारित हो जायेगा। स्वतः विस्तार की यह प्रक्रिया तब तक चालू रहेगी जब तक अंतिम उच्चतम बोली में आठ मिनट की कालावधि तक सुधार नहीं होता है;

(i) सफल बोलीदाता का एकमात्र विनिष्चय बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत उच्चतम बोली के आधार पर प्रणाली द्वारा किया जायेगा। किसी भी बोलीदाता के साथ कोई भी बातचीत नहीं की जायेगी;

(ii) ई-नीलामी की समाप्ति पर उच्चतम बोलीदाता को सफल बोलीदाता के रूप में घोषित किया जायेगा और उसके पश्चात सफल बोलीदाता का नाम और बोली राशि इत्यादि उपदर्षित करते हुए बोली नियुक्त एजेंसी द्वारा ई-मेल के माध्यम से चौबीस घण्टे के भीतर-भीतर उपलब्ध कराया जायेगा। बोली पत्र प्रबंध सूचना प्रणाली (प्र.सू.प्र.) रिपोर्ट के माध्यम से डाउनलोड किया जायेगा; और

(iii) सफल बोलीदाता द्वारा संपादन प्रतिभूति जमा करा दिये जाने पर सफल बोलीदाता की बोली प्रतिभूति नीलामी के लिए नियुक्त एजेंसी द्वारा बहत्तर घण्टे के भीतर-भीतर प्रतिदत्त की जायेगी।''; और

(iii) इस प्रकार संशोधित उप-नियम (7) के पश्चात और विद्यमान उप-नियम (8) के पूर्व निम्नलिखित नया उप-नियम (7क) अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थातः-

''(7क) सफल बोलीदाता की घोषणा के पश्चात सफल बोलीदाता ई-नीलामी के पूर्ण होने के पन्द्रह दिवस के भीतर-भीतर संबंधित खनि अभियंता या सहायक खनि अभियंता को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगाः-

(i) विभाग में ठेकेदार के पंजीयन की प्रति;

(ii) विभाग के अदेयता संबंधित शपथपत्रः

(iii) संबंधित खनि अभियंता या सहायक खनि अभियंता से प्राप्त अदेत या प्रमाणपत्र जहां बोलीदाता खनिज रियायत या अधिशुल्क संग्रहण ठेका या अधिक अधिशुल्क संग्रहण ठेका धारण करता है या धारण की थी:

परंतु फर्म, कंपनी या व्यष्टियों के संगम की दशा में, शपथपत्र और अदेय ता प्रमाणपत्र, समस्त भागीदारों, निदेशकों या, यथास्थिति, व्यष्टियों द्वारा प्रस्तुत किये जायेंगे।

(iv) यदि बोलीदाता कंपनी है तो संगम ज्ञापन और संगम अनुच्छेद, निगमन प्रमाणपत्र या, यथास्थिति, यदि बोलीदाता फर्म है तो भागीदारी विलेख और फर्म पंजीयन प्रमाणपत्र;

(v) फर्म या, यथास्थिति, कंपनी के मामले में प्रारूप 4 में यथाविनिर्दिष्ट रूपविधान में मुख्तारनामा या बोली प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति के पक्ष में निदेशक बोर्ड का संकल्प ;

(vi) पैन कार्ड या टिन की प्रति;

(vii) पते के सबूत की प्रति; और

(viii) ई-मेल पता और मोबाइल नम्बर।"

16. नियम 51 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 51 के उप-नियम (10) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "उप-नियम (9)" के स्थान पर अभिव्यक्ति "उप-नियम (9) या नियम 44 के उप-नियम (10) के अनुसार विद्यमान पटटाकर्ताओं से पृथक अधिशुल्क संदत्त रवन्ना अभिप्राप्त कर सकेगा" प्रतिस्थापित की जायेगी।

17. नियम 52 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 52 के उप-नियम (1) के खण्ड (i) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "किसी व्यक्ति को पटटा क्षेत्र या खदान अनुज्ञप्ति क्षेत्र के अंदर या बाहर पड़े अतिभार या साधारण मिटटी या मोर्रम के प्रेषण के लिए ऐसी विशेष अनुज्ञापत्र शुल्क के संदाय पर अनुज्ञापत्र स्वीकृत कर सकेगा जिसकी गणना प्रति टन दस रुपये की दर से की जायेगी या जो समय-समय पर पुनरीक्षित की जाये जो अधिशुल्क, समय-समय पर यथासंशोधित जिला खनिज प्रतिष्ठान न्यास नियम, 2016 में विनिर्दिष्ट दर से जिला खनिज प्रतिष्ठान न्यास में अभिदाय के अतिरिक्त होगी" के स्थान पर अभिव्यक्ति" जिला खनिज प्रतिष्ठान न्यास नियम, 2016 में विनिर्दिष्ट दर से जिला खनिज प्रतिष्ठान न्यास के अग्रिम संदाय पर किसी पटटा क्षेत्र या खदान अनुज्ञप्ति क्षेत्र के भीतर या बाहर रखे हुये अतिभार या साधारण मिटटी या मोर्रम के प्रेषण के लिए किसी व्यक्ति को अनुज्ञा स्वीकृत कर सकेगा" प्रतिस्थापित की जायेगी।

18. नये नियम 68क का अन्तःस्थापन.- उक्त नियमों के विद्यमान नियम 68 के पश्चात और विद्यमान उप-नियम 69 के पूर्व निम्नलिखित नया नियम 68क अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थातः-

"68क. बजरी खनन के मार्गदर्शक सिद्धान्त.- खनिज बजरी के खनन के लिए, राज्य सरकार समय-समय पर मार्गदर्शक सिद्धांत जारी कर सकेगी। इस प्रकार जारी किये गये मार्गदर्शक सिद्धान्त इन नियमों से असंगत नहीं होंगे।

19. नियम 74 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 74 के उप-नियम (2) के खण्ड (ix) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, रेल टैंक और बांधों को छोड़कर सरकारी संकर्मो में सड़कों या तटबंधों, एनिकटों के संनिर्माण के लिए किया जाता है" के स्थान पर अभिव्यक्ति "राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग रेल टैंक को छोड़कर सरकारी संकर्मो में सड़कों या तटबंधों, एनिकटों, नहरों, बांधों और बांधों को छोड़कर के संनिर्माण के लिए किया जाता है" प्रतिस्थापित की जायेगी।

20. अनुसूची 2 का संशोधन.- उक्त नियमों से संलग्न अनुसूची 2 के भाग-क के क्रम संख्यांक 5 के परन्तुक में विद्यमान अभिव्यक्ति "संगमरमर स्लरी" के स्थान अभिव्यक्ति "मकराना के बोरावाड क्षेत्र में कुमारी पत्थर के रूप में प्रयुक्त चिनाई पत्थर और संगमरमर स्लरी" प्रतिस्थापित की जायेगी।

21. अनुसूची 3 का संशोधन.- उक्त नियमों से संलग्न अनुसूची 3 के भाग-क के क्रम संख्यांक 6 के सामने स्तंभ 3 में विद्यमान अभिव्यक्ति "3.00" के स्थान अभिव्यक्ति "6.00" प्रतिस्थापित की जायेगी।

22. प्रारूप-3 का हटाया जाना.- उक्त नियमों से संलग्न विद्यमान प्रारूप-3 हटाया जायेगा।

23. प्रारूप-4 का संशोधन.- उक्त नियमों से संलग्न विद्यमान प्रारूप-4 में,-

(i) विद्यमान अभिव्यक्ति "[नियम 14(8)(i)(क)(vii) देखिए]" के स्थान पर अभिव्यक्ति "[नियम 14(10)(iv) और 37(7क)(v) देखिए]" प्रतिस्थापित की जायेगी।; और

(ii) विद्यमान अभिव्यक्ति "बोली आमंत्रित करने की सूचना दिनांक.....के प्रत्युत्तर में खनिज ब्लाक/संविदा (खनिज ब्लाक/ संविदा का नाम) ("खनिज ब्लाक/ संविदा")" के स्थान पर अभिव्यक्ति "बोली आमंत्रित करने के नोटिस के प्रत्युत्तर में खनन पटटे/खदान अनुज्ञप्ति/अधिशुल्क संग्रहण संविदा/अधिक अधिशुल्क संग्रहण संविदा का ई-नीलामी" प्रतिस्थापित की जायेगी।

[सं. प.14(9)खान/ग्रुप-2/2015-पार्ट-।।,
राज्यपाल के आदेश से,
ललित कुमार,
संयुक्त शासन सचिव

Government Central Press, Jaipur.